

U.P. Power Transmission Corporation LIMITED

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

TWC

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

Office Of The
S.E. (TP & PSS)
3rd Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg Lucknow-226001



कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता (टी०पी० एवं पी०एस०एस०)
तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: 247-पी०/पी०/ग्यारहवीं योजना/समिति

दिनांक: 9.9.2011

विषय: कारपोरेशन द्वारा गठित "पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" की ग्यारहवीं योजना की तीसरी बैठक दिनांक 07.09.2011 का कार्यवृत्त।

- 1- श्री एस०के० अग्रवाल, निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष, "पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- श्री ए०के० सिंह, मुख्य अभियन्ता (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य "पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" 11वीं तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- श्री वी०के० वर्मा, मुख्य अभियन्ता (नियोजन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य "पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री "पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" पंचम तल शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (सी० एण्ड सी०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं स्थायी आमन्त्री शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम, एवं स्थायी आमन्त्री "पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" आठवीं तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- श्री सुभाषु द्विवेदी, उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं नामित सदस्य "पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" तृतीय तल, शक्ति भवन, लखनऊ।

"पारिषद कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 07.09.2011 को आयोजित ग्यारहवीं योजनाकाल की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त आपके संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Transmission Corporation Ltd.
Mirzapur

(एस० वं० गर्ग)
अधीक्षण अभियन्ता (पारि०/पी०)
एवं सदस्य संयोजक।

Shobha Anand Shobha
Imli, Kanpur, India

TWC letter

1786
23/9/11
मौलाना अली अहमद आर्गुमं, निवासी मुबारक मुंडो, लखनऊ
का मुलाकात 25 अगस्त 2011 को लखनऊ में हुई।
Date: 30/11/2011

प्रतिनिधि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, अली मंजिल, फातिमा हॉस्पिटल के निकट, मिर्जापुरगंज, लखनऊ ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, यूनिवर्सिटी रोड, आनंद नगर, मेरठ ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 64 खम्बा, भाईपरा रोड, सिविलपुरा, आगरा ।
- 5- मुख्य अभियन्ता 765 कोठी, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वीं तल शक्ति भवन विरवार लखनऊ ।
- 6- मुख्य अभियन्ता सी०एम०यू०(टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वीं तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (ज्ञानपद- पारेषण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वीं तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(संलग्नक) यथोपरि ।


(एस०एस० सिंह)
अधीक्षक अभियन्ता (पारेषण)
एवं सदस्य संयोजक ।

कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 07.09.2011 को सम्पन्न 11वीं योजनाकाल की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

सदस्य

- 1- श्री एस०के० अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष समिति।
- 2- श्री ए०के० सिंह, मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) एवं सदस्य समिति।
- 3- श्री वी०के० वर्मा, मुख्य अभियन्ता (नियोजन) एवं सदस्य समिति।
- 4- श्री सुधानु द्विवेदी, उपमहाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेषण) एवं सदस्य समिति।
- 5- श्री एस०के० गर्ग, अधीक्षक अभियन्ता (टी०पी० एवं पीएसएस), एवं संयोजक सदस्य।

अन्य

- 1- श्री टी०पी० तिवारी, अधीक्षक अभियन्ता (नियोजन)।
- 2- श्री सत्येन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता (टी०पी०)।

मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) से प्राप्त तथा अधीक्षक अभियन्ता (टी०पी० एवं पीएसएस) एवं संयोजक सदस्य "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" द्वारा प्रस्तुत पारेषण कार्यों के प्रस्तावों पर समिति ने सम्यक विचारों के बाद निम्न निर्णय लिए :-

(ख) निम्न नये उपकेन्द्रों एवं लाइनों के सम्बन्धित 'बे' सहित निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया गया :-

1. 220 के०वी० उपकेन्द्र सिकन्दरा (रमाबाई नगर/कानपुर देहात) का निम्नवत् निर्माण :-

(क) 220/132 के०वी० परिवर्तक - 2x100 एमवीए

(ख) 220 के०वी० भौती-उरई लाइन का लीलो - 40 कि०मी०

(ग) 132 के०वी० जैनपुर-पुखराया लाइन का पुखराया उपकेन्द्र पर लीलो - 45 कि०मी०

2. 132 के०वी० उपकेन्द्र गुरसराय-(झांसी) का निम्नवत् निर्माण :-

(क) 132/33 के०वी० परिवर्तक - 2x20 एमवीए

(ख) 132 के०वी० एस०सी० (डी०सी० टावरों पर) मोठ-गुरसराय लाइन का निर्माण - 45 कि०मी०

NOTE TWAC
Surya
7/9/11

and
7.9.2011

Signature
07/09/11

1. 132 क०वी० उपकेन्द्र लालगंज (मिर्जापुर) का निम्नवत् निर्माण :-
 - (क) 132/33 क०वी० परिवर्तक - 2x20 एमवीए
 - (ख) 132 क०वी० डी०सी० मिर्जापुर-जिग्ना लाइन के द्वितीय सर्किट का लीलो - 40 किमी०
4. दिनांक 13.10.2009 की बैठक में पूर्व अनुमोदित 132 क०वी० उपकेन्द्र टुण्डला एवं सम्बद्ध लाइनों के निर्माण को भूमि की अपलब्धता न होने के कारण निरस्त करते हुए 132 क०वी० उपकेन्द्र टुण्डला (फिरोजाबाद) का निम्नवत् निर्माण:-
 - (क) 132/33 क०वी० परिवर्तक - 2x40 एमवीए।
 - (ख) 132 क०वी० डी०सी० फिरोजाबाद (220 क०वी०)-शिकोहाबाद लाइन का लीलो - 26 किमी०
 - (ग) 132 क०वी० एस०सी० टुण्डला-एल्मादपुर लाइन का निर्माण - 17 किमी०
5. "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति की दिनांक 09.07.2008 को सम्पन्न ग्यारहवीं योजनाकाल की 7वीं बैठक में अनुमोदित 132 क०वी० उपकेन्द्र नगीना (2x40 एमवीए) हेतु अनुमोदित 132 क०वी० नहतौर-लक्सर लाइन का लीलो (8 कि०मी०) का निर्माण निरस्त करते हुये निम्न लाइन के निर्माण का अनुमोदन किया जाता है :-
 - (क) डी०सी० टावरों पर 132 क०वी० एस०सी० नहतौर(220 क०वी०)- नगीना लाइन का निर्माण-18 कि०मी०
6. 132 क०वी० उपकेन्द्र बोदला (आगरा) के सुचारु पोषण हेतु 132 क०वी० आगरा (220)-बोदला लाइन (लगभग 6 कि०मी०) के पैन्थर कन्डक्टर को ACCC/INVAR Panther/STACIR Power Conductor से बदलने का कार्य अनुमोदित किया जाता है।
7. 132 क०वी० उपकेन्द्र बिसौली (बदायूँ) पर मेसर्स Yadu Sugar Ltd. द्वारा को-जनरेशन से उत्पादित बिजली के Export हेतु जमा मद में निम्न कार्य अनुमोदित किया जाता है :-
 - (क) 132 क०वी० एस०सी० बिसौली-यादु शुगर लि० लाइन - 8 कि०मी०
 - (ख) 132 क०वी० फीडर 'बे' का निर्माण
 - (ग) 132 क०वी० मेन एवं ट्रांसफर बस का विस्तार कार्य
- (8) निम्न उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि कार्यों को आवश्यक बे सहित अनुमोदित किया गया:-
 1. 220 क०वी० उपकेन्द्र सम्भल (मुरादाबाद) - 2x100 एमवीए से 3x100 एमवीए।
 2. 220 क०वी० उपकेन्द्र साहिबाबाद - 2x160 एमवीए से 2x200 एमवीए।
 3. 132 क०वी० उपकेन्द्र जौलीरोड (मुजफ्फरनगर) - 2x20 एमवीए से 2x63 एमवीए।
 4. 132 क०वी० उपकेन्द्र सासनी (हाथरस) - 2x20 एमवीए से 2x40 एमवीए।
 5. 132 क०वी० उपकेन्द्र एल्मादपुर (आगरा) - 2x40 एमवीए से 63+40 एमवीए।
 6. 132 क०वी० उपकेन्द्र इगलास (अलीगढ़) - (20+40) एमवीए से 2x40 एमवीए।
 7. 132 क०वी० उपकेन्द्र मांट (मथुरा) - 2x20 एमवीए से 2x40 एमवीए।

THANK YOU

7/9/11

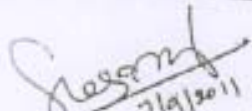
7/9/11

7.9.2011

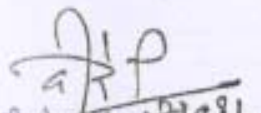
7/9/11

(स) पूर्व की बैठकों में अधोलिखित अनुमोदित लाइनों/उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य के अनुमोदन में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

क्रम सं०	ग्यारहवीं योजनाकाल की बैठक सं० एवं दिनांक	उपकेन्द्र का नाम	पूर्व अनुमोदन	संशोधित अनुमोदन
1	7वीं बैठक दिनांक 09.07.2008	400 के०वी० उपकेन्द्र उरई	220 के०वी० उरई - भीती लाइन लीलो-20 किमी	220 के०वी० उरई-भीती लाइन का लीलो -5 किमी
2	7वीं बैठक दिनांक 09.07.2008	400 के०वी० उपकेन्द्र बोंदा	220 के०वी० बोंदा - फतेहपुर लाइन का लीलो - 2 किमी	220 के०वी० पारीछा-बोंदा लाइन का लीलो - 2 किमी
3	9वीं बैठक दिनांक 27.08.2008 का शुद्धिपत्र	220 के०वी० उपकेन्द्र महोबा	220 के०वी० एस०सी० महोबा-बोंदा लाइन - 80किमी	220 के०वी० पारीछा-बोंदा लाइन का लीलो - 5 किमी
4	9वीं बैठक दिनांक 27.08.2008	220 के०वी० उपकेन्द्र महोबा	132 के०वी० एस०सी० महोबा-राठ लाइन - 40 किमी	132 के०वी० महोबा-राठ लाइन का लीलो - 5 किमी
5	9वीं बैठक दिनांक 27.08.2008	220 के०वी० उपकेन्द्र महोबा	132 के०वी० डी०सी० महोबा (220)-महोबा (132) इन्टरकनेक्टर लाइन - 10 किमी	स्थान न उपलब्ध होने के कारण निरस्त
6	12वीं बैठक दिनांक 13.11.2009	132 के०वी० उपकेन्द्र हमीरपुर	132 के०वी० एस०सी० भरुआ सुमेरपुर-हमीरपुर लाइन (30 किमी)	132 के०वी० जहानाबाद-भरुआ सुमेरपुर लाइन का लीलो-30 किमी


(एस०के० गर्ग)
7/9/2011

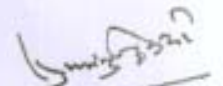
प्रवीक्षण अभियन्ता (टीपी एवं पीएसएस)
एवं संयोजक सदस्य


(डी०के० वर्मा) 05/09/11

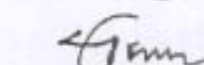
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
एवं सदस्य


(ए०के० सिंह)
07.09.2011

मुख्य अभियन्ता (आपरेशन)
एवं सदस्य


(सुधांशु द्विवेदी) 21/9/11

उपमहाप्रबन्धक (लेखा एवं सामग्री)
एवं सदस्य


(एस०के० अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
एवं अध्यक्ष



आरईसी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
REC RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LTD

(भारत सरकार का उद्यम) / A Govt. of India Enterprise

Project Office: 19/8, Indira Nagar, Lucknow - 226 016
Tel. No. 0522-2716324, Fax: 0522-2716815, Email: info@rec.co.in

No. REC/POI/T&D/Sanction/2013-14/123

Dated: 17/05/2013

To,
Chairman -Cum- Managing Director
Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd.
7th Floor, Shakti Bhawan
14-Ashok Marg,
Lucknow

Sanction Letter

Sub: Financial assistance of Rs. 2241.06 Lakh to Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. (UPPTCL) for implementation of System Improvement (Transmission) Scheme- 132 KV S/S Lalganj with associated LILO Line and Bays, distt. ETD-Mirzapur of ETC-Varanasi of UPPTCL of Uttar Pradesh State (Scheme Code No. UP-TD-TRM-047-2012-6430) under category P: 51 (Transmission).

Ref: UPPTCL Lr. No. 1476/ESDC-II/IT/REC/Sanction dated 05.05.2012

Dear Sir,

Please refer to your above cited Loan Application for financial assistance from Rural Electrification Corporation Ltd. to finance the proposed System Improvement (Transmission)- 132 KV S/S Lalganj with associated LILO Line and Bays, distt. ETD-Mirzapur of ETC-Varanasi at a total cost of Rs. 2490.07 Lakh of Mirzapur district of Uttar Pradesh State.

The proposal has been considered and REC is agreeable to grant you Rupee Term Loan Assistance (the "RTL Assistance") to the extent of Rs. 2241.06 Lakh (Rupees Twenty Two Four Hundred One Lakh & Six Thousand Only). Details of the scheme(s) are as follows:

(Amount in Rs Lakh)

Name of the scheme	132 KV S/S Lalganj with associated LILO Line and Bays, distt. ETD-Mirzapur of ETC-Varanasi
District / Division / Circle	Mirzapur/ ETD-Mirzapur/ETC-Varanasi
Scheme code no	UP-TD-TRM-047-2012-6430
Scheme Period	24 months
Cost of the project	2490.07
IDC if any	-
Cost Escalation if any	-
Total Cost including IDC and Cost escalation	2490.07
Promoter's contribution (Equity component %)	10%

No. 2119
C.E. (D.&P.)

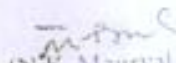
SE ETD / SE ESDC II / 24/05/2013
29/5
C.E. (D. & P.)

Loan amount sanctioned	Loan IDC	Rs. 2241.06
	Cost Escalation	
	Total Loan	2241.06
	Extent of financing (% of loan to cost may be given)	90%

1. The aforesaid term loan is subject to the general terms and conditions set out in Annexure-I. Details of project sanction are enclosed at Annexure A, B and C. The loan would be further subject to the conditions as set out in the Rupee Term Loan Agreement to be executed between the borrower and REC.
2. The sanction letter is sent to you in duplicate and in case the above terms and conditions are acceptable to you, it is requested to return one copy of the same duly signed as token of acceptance of the terms and conditions of sanction within a period of thirty days from the date of receipt of this letter.
3. Unless the loan agreement and other documents relating to the above assistance are executed by Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. (UPPTCL) in the time as may be required by REC with in three months from the date of this letter or within such further time as may be allowed by REC in its absolute discretion, this communication should not in any way be construed as giving rise to any binding obligation on the part of REC.
4. All the Annexures are deemed to be part of this letter.

You are requested to acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,


(N.K. Maurya) 18/5/13
Zonal Manager

Enclosed: a/a

Copy for kind information to:-

1. Director (Finance), UP Power Corporation Limited, Shakti Bhawan, Lucknow.
2. C.M. (Finance), UP Power Corporation Limited, 1st Floor, Shakti Bhawan, Lucknow.

Copy for kind information to:-

1. Director (W & P), UPPTCL, 10th Floor Extn., Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow.
2. ✓ Chief Engineer (Transmission), UPPTCL, 10th Floor Extn., Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow.
3. REC Nodal Officer, ESDC-II, Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd., 13th Floor, Shakti Bhawan Extn., 14-Ashok Marg, Lucknow.
4. Superintending Engineer, Electricity Transmission Circle- Varanasi, Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd.